

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-12122025-268445
SG-DL-W-12122025-268445

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10]	दिल्ली, दिसम्बर 5—दिसम्बर 11, 2025, बृहस्पतिवार/अग्रहायण 14—अग्रहायण 20, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 370
No. 10]	DELHI, DECEMBER 5—DECEMBER 11, 2025, THURSDAY/AGRAHAYANA 14—AGRAHAYANA 20, 1947	[N.C.T.D. No. 370

भाग —IV
PART —IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों
की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली
अधिसूचना

दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2025

संख्या: 77/डी.एच.सी./गजट.II-ए /जी-10/2025.—माननीय मुख्य न्यायाधीश ने सुश्री विनरजीत कौर, दिल्ली न्यायिक सेवा की एक अधिकारी को अपना नाम “विनरजीत कौर” से “विनरजीत कौर संधू” करने की सहर्ष अनुमति प्रदान की है और यह आदेश दिया है कि अब से उन्हें “विनरजीत कौर संधू” के नाम से जाना जाएगा।

आदेशानुसार,

संदीप गर्ग, विशेष कार्य अधिकारी (गजट-II)

HIGH COURT OF DELHI, NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 6th December, 2025

No. 77/DHC/Gaz.II-A/G-10/2025.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to permit Ms. Vinerjeet Kaur, an officer of Delhi Judicial Service, to change her name from “VINERJEET KAUR” to “VINERJEET KAUR SANDHU” and order that henceforth she will be known as “VINERJEET KAUR SANDHU”.

By Order,

SANDEEP GARG, Officer on Special Duty (GAZETTE-II)